the diversion of domestic LPG to the black market and unauthorized use which takes place on account of the wide gap between the retail price of LPG for domestic use and the market price for commercial LPG. The Union Government in the Ministry of Petroleum & Natural Gas has alerted State Governments to the imperative need to curtail diversion and other malpractices by enforcing the control orders issued under the Essential Commodities Act, 1955. OMCs have also been directed to ensure adherence to Marketing Discipline Guidelines, 2001.

In view of the temporary LPG shortage, OMCs had restricted the release of new connections effective September 2005 but, in view of the improvement in the situation, they have accepted the Ministry's request to resume the release of new connections from 1st December, 2005.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, before the hon. Member puts his supplementary, may I enquire, in the light of the statement that you made a little while ago that we are going to have a full-fledged discussion on kerosene and LPG, whether we are going to take the supplementaries now or we will have the entire and detailed discussion later. Anyway, I will be happy to answer supplementaries. But I was just asking for your instructions.

श्री सभापति: क्या अभी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं?

श्री तारिक अनवर: सर, अगर उसको ले रहे हैं तो मुझे कोई हर्ज़ नहीं है।

श्री सभापति: उसे ला रहे हैं। फिर अभी प्रश्न नहीं पूछेंगे।

बाढ़ नियंत्रण योजना

*88. **श्री उदय प्रताप सिंह:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मानूसन के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण की कोई व्यापक योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

बाढ़ को समूचे विश्व में पूर्णतया नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। स्थान-दर-स्थान इस समस्या को तकनीकी गुणावगुण के आधार पर सर्वोत्तम ढंग से नियंत्रित किया जाना चाहिए। तथापि, बाढ़ प्रबंधन राज्यों के कार्य क्षेत्र में होने के कारण बाढ़ नियंत्रण संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार की भूमिका तकनीकी, उत्प्रेरणात्मक और संवर्धनात्मक स्वरूप की होती है। यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इस मुद्दे पर विशेष बल दिया है।

तथापि, बाढ़ के प्रबंधन में राज्यों की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार भी विभिन्न उपाय प्रारम्भ कर रही है। बाढ़ समस्या की जाँच करने और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1976 में गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, जो देश में बाढ़ प्रबंधन कार्यनीति संबंधी फ्रेमवर्क तैयार करता है, की सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को भेजी गई थीं। बाढ़ और इसके प्रबंधन से संबंधित समस्या के अध्ययन के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक अन्य विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया था जिनकी सिफारिशों को भी कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा गया है। गंगा बेसिन राज्यों के लिए वर्ष 1972 में गठित गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने गंगा की सभी 23 नदी प्रणालियों के बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक योजनाएं तैयार कीं। इसी प्रकार, 1982 में कार्य प्रारम्भ करने वाले ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र, बराक और इसकी प्रमुख वितरिकाओं के लिए बाढ़ प्रबंधन के वास्ते मास्टर योजनाएं तैयार कीं। कार्यान्वयन के लिए इन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया था।

राष्ट्रीय जलनीति 2002 में बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के लिए बेसिनवार मास्टर योजनाएं तैयार करने की सिफारिश की गई है जिनमें जलाशय विनियमन नीति में बाढ़ नियंत्रण पर प्राथमिकता से विचार करते हुए जलाशय परियोजनाओं में पर्याप्त बाढ़ कुशन मुहैया कराने की बात है। इसमें आगे व्यवस्थाओं के विनियमन और बाढ़ मैदानों में आर्थिक क्रियाकलापों तथा बाढ़ पूर्वानुमान क्रियाकलापों के आधुनिकीकरण और विस्तार पर जोर दिया गया है।

बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा एक गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में एक राष्ट्रव्यापी बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है जो कि देश में 173 केन्द्रों से बाढ़ पूर्वानुमान जारी करती है। इनमें से 145 केन्द्र नदी स्तरीय पूर्वानुमान और 28 अन्तर्वाह पूर्वानुमान हैं मौजूदा योजना में बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क को आधुनिक आंकड़ा संग्रहण/आंकड़ा संप्रेषण प्रणाली द्वारा अद्यतन किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमानों प्रतिपादन केन्द्रों

को वास्तविक समय आंकड़ों का संप्रेक्षण और प्रयोक्ता अभिकरणों के लिए पूर्वानुमान का प्रचार-प्रसार किया जा सके जिसके लिए 51 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक स्कीम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है।

असम और पड़ोसी राज्यों, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ और कटाव की समस्या की जाँच करने के लिए भारत सरकार ने अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण के लिए वर्ष 2004 में एक कार्यबल का गठन किया था जिसमें राज्य सरकारों, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल हैं। इस कार्यबल ने अन्य बातों के साथ-साथ बाढ़ प्रबंधन के लिए स्थाई/ दीर्घकालीन उपायों के रूप में जलाशय परियोजनएं शुरू करने की सिफारिश की है।

भारत सरकार इस दिशा में प्रभावशाली प्रयास करती रही है। सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्य परियोजना और सन कोसी भंडारण व व्यपवर्तन स्कीम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के सर्वेक्षण, अन्वेषण और तैयारी के लिए नेपाल के साथ एक समझौता किया गया जिसके लिए नेपाल में संयुक्त परियोजना कार्यालय अगस्त, 2004 में खोला जा चुका है। बाढ़ नियंत्रण इस परियोजना का एक प्रमुख लाभ है। नेपाल, कमला के संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन और बागमती बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभिक अध्ययन शुरू करने के लिए सहमत हो गया है ताकि इन पर उपयुक्त रूप से ध्यान दिया जा सके। भारत सरकार ने 542.90 करोड़ रुपये (संशोधित अनन्तिम लागत 40 करोड़ रुपये) की लागत से वर्ष 2001 में असम में पगलादिया बहुउद्देश्यीय परियोजना के कार्यान्वयन को भी अनुमोदित किया था जिसका बाढ़ नियंत्रण एक प्रमुख लाभ हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, गंभीर कटावरोधी/ बाढ़ प्रबंधन कार्यों को शुरू करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता भी मुहैया करा रही है। 10वीं योजना के दौरान गंगा बेसिन राज्यों के लिए 195.63 करोड़ रुपये (केन्द्र का हिस्सा) की लागत वाली एक स्कीम अनुमोदित की गई थी। इसी प्रकार, सिक्किम और उत्तर बंगाल सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रुपए की एक स्कीम अनुमोदित की गई है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने भी 21.91 करोड़ रुपए के कटावरोधी कार्य निष्पादित किए हैं। माजुली द्वीप की सुरक्षा के लिए पूर्णत: भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली 41.28 करोड़ रुपए की एक अन्य स्कीम अनुमोदित की गई है। गंडक और कोसी तटबंधों (नेपाल का हिस्सा) के रखरखाव के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों को वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिसका निष्पादन वे प्रत्येक बाढ़ मौसम के पश्चात् करते हैं। ''लालबकिया, कमला, बागमती और खांडो नदियों के लिए तटबंधों के विस्तार, उन्हें ऊंचा करने और सुदृढ़ करना'' नामक स्कीम के लिए बिहार को भी सहायता दी जा रही है।

Plan to control floods

†*88. SHRI UDAY PRATAP SINGH: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether any comprehensive plan has been made by Government for controlling floods in the flood-affected areas during monsoon; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SONTOSH MONAN DEV): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Flood throughout the world cannot be fully controlled. It is to be managed to best of ability on technical merit of the problem from place to place. However, flood Management being within the purview of States, the schemes for flood control are planned, funded and exectuted by the State Governments. The role of Central Government is technical, catalytical and promotional in nature. UPA Government gave special emphasis on this issue in the National Common Minimum Programme.

Central Government, however, has also been initiating various measures for assisting the States in the management of floods. The Rashtriya Barh Ayog, set up by the Government of India in 1976 to look into flood problem and suggest remedial measures, submitted its report in 1980. The recommendations of the Rashtriya Barh Ayog which formed the framework for flood management strategy in the country were forwarded to the various State Governments for implementation. Several other expert committees were also constituted by the Government from time to time to study the problem relating to flood and its management, the recommendations of which were also sent to the respective State Governments for implementation. Ganga Flood Control Commission for Ganga Basin States constituted in 1972 prepared Comprehensive Plans for Flood Management for all the 23 river systems of Ganga. Likewise, Brahmaputra Board which started functioning at Guwahati in 1982 prepared Master Plans for Flood Management for Brahmaputra, Barak and its major tributaries. These plans were forwarded to concerned State Governments for implementation.

The National Water Policy 2002 has recommended for preparation of basin wise Master Plan for flood control and management providing therein

adequate flood cusion in reservoir projects, giving overriding consideration of flood control in reservoir regulation policy. It has further emphasised on non-structural measures like regulation of settlements and economic activities in flood plains as well as modernization and expansion of flood forecasting activities.

In order to mitigate the damages from floods, a nationwide flood forecasting and warning system, as a non-structural measure, has been established by the Central Water Commission which issues flood forecasts at 173 stations in the country of which 145 stations are for river stage forecast and 28 for inflow forecast. The Flood Forecasting Network is being upgraded in the current plan by way of installation of modern data collection/ data communication system to enable collection and transmission of real time data to forecast formulation centres and dissemination of the forecasts to user agencies for which a scheme estimated to cost Rs. 51 crore has already been approved by the Government of India.

During 2004, the Government of India has constituted a Task Force for Flood Management/Erosion Control under the Chairmanship of Chairman, Central Water Commission with representatives of State Governments, various Central Ministries and experts as members to examine the problem of flood and erosion in Assam and neighbouring States, West Bengal, Bihar and Eastern Uttar Pradesh. The Task Force has *inter alia* recommended taking up of reservoir projects as permanent/ long term measures for flood management.

The Government of India have been taking effective steps in this direction. An agreement was reached with Nepal for survey and investigation and preparation of Detailed Project Report for Sapta Kosi High Dam Multipurpose Project and Sun Kosi Storage Cum Diversion Scheme for which a Joint Project Office has already been opened in Nepal in August 2004. This project has flood control as one of the major benefits. Nepal has also agreed for undertaking the joint feasibility study of Kamla and preliminary study of Bagmati Multipurpose Project to ascertain likely constraints in implementation of these projects so that the same could be appropriately addressed. The Government of India had also approved implementation of Pagladiya Multipurpose Project in Assam in 2001 at a cost of Rs. 542.90 crore (Revised tentative cost Rs. 1069.40 crore) which has flood control as a major benefit. In addition to the above, the Government of India has

also been providing Central assistance to the State Governments to take up critical anti erosion/flood management works. A scheme amounting to Rs. 195.63 crore (central share) was approved during the 10th Plan for Ganga Basin States. Similarly a scheme of Rs. 150 crore has been approved for North Eastern Region including Sikkim and North Bengal. Brahmaputra Board has also executed anti erosion works worth Rs. 21.91 crore. Another scheme amounting to Rs. 41.28 crore has been approved to be fully funded by the Government of India for the protection of Majuli Island. Governments of Uttar Pradesh and Bihar are being provided financial assistance for maintenance of Gandak and Kosi embankments (Nepal portion), which they execute after every flood season. Assistance is also being rendered to Bihar for the scheme namely, "Extension, raising and strengthening of embankments for rivers Lalbakeya, Kamla, Bagmati and Khando".

श्री उदय प्रताप सिंह: माननीय सभापति जी, पहले तो मैं मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि इन सारे प्रयासों के बावजूद बाढ़ से हर साल जान-माल की जो हानि होती है, उसके अलावा खेती का भी बहुत नुकसान होता है, खेती जो हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उस पर कुप्रभाव पड़ता है। उसके दो कारण हैं। ये जो बांध बने हुए हैं, इन बांधों से दो बातें हुई हैं--एक तो नदियों के जो प्राकृतिक बहाव थे, वे कुप्रभावित हुए और उनका जो तल था, वह उथला हो गया और उनमें पानी को धारण करने की और बांधकर रखने की क्षमता भी कम हो गई। उसके कारण जब कभी मानसून आता है, तो पानी जो पहले कभी सागर की ओर बह जाया करता था, वह सारे खेतों पर फैल जाता है। दूसरी वजह यह हुई कि जो बांध हैं और उनके जो जलाशय हैं, उनकी डीसिल्टिंग नहीं होती, ठीक से सफाई नहीं होती, उसके कारण उनकी भी क्षमता कम हुई है। तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी मुकम्मल योजना बना रही है कि एक तरफ मार्गान्तीकरण, दूसरी तरफ नदियों को जोड़ना, तीसरी तरफ सफाई और चौथी तरफ नदियों को गहरा करने की योजना हो, जिससे बाढ़ से जो हज़ारों एकड़ जमीन बरबाद होती है और लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंचते हैं, वे बच जाएं?

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, it is a fact that siltation in the river has increased to a great extent. When *bandh* is made, one area is saved, another area is inundated. Secondly, deforestation has caused siltation in rivers. Respective State Governments have taken up various schemes. It needs a massive operation. In the Common Minimum Programme, we have laid emphasis on irrigation system. This is one of the methods by which this problem can be solved to a great extent. Government is aware

of the sorrows of cultivators. We shall take appropriate steps so that their miseries are mitigated.

श्री उदय प्रताप सिंह: आदरणीय सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों की अपनी-अपनी क्षमताएं होती हैं और राज्य सरकारों के पास अपने-अपने सीमित साधन होते हैं। इसलिए अगर नुकसान की ज्यादा संभावना हो, तो पहले से जो पैमाना बना हुआ है, उसके आधार पर भी केंद्र सरकार को राज्यों को सहायता देनी चाहिए। तमिलनाडु, विदर्भ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, बिहार-इन सबमें बाढ़ से हज़ारों एकड़ नुकसान हुआ है, हर तरह का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार जो यह राज्य सरकारों पर छोड़ देती है, उसके बजाय केंद्र सरकार इसमें गहरी रुचि दिखाकर सरकारों को सहयोग करे, यदि इसके लिए सरकार कोई ठोस योजना बना रही है, तो उससे सदन को अवगत कराए।

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, through the Planning Commission, we do give funds to respective State Governments for de-siltation and other projects. In future also, more schemes will be taken up.

*89. [The questioner (SHRI JANESHWAR MISHRA) was absent For answer *vide* page 34]

Enquiry into aircraft landing

*90. SHRI R.P. GOENKA: Will the Minister of CIVILAVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently a Boeing 737 aircraft of an airline, which was operating on its scheduled flight from Kolkata, overshot the runway while landing at Mumbai airport and got stuck in mud for almost three days, thereby affecting normal operations to and from the busy airport, causing considerable inconvenience to the travelling public and also huge financial losses to the industry due to restricted air operations; and

(b) if so, the results of any enquiry made into the incident and the fresh steps initiated to avoid recurrence of such potentially dangerous incidents in future?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS (SHRI PREM CHAND GUPTA): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.